Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878

ग्रामीण भारत में गरीबी व बेरोजगारी निवारण का सशक्त साधन–मनरेगा

पूजा पल्लवी*

गरीबी और बेरोजगारी का तो मानो चोली–दामन का साथ है। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह बेरोजगार है तथा वह बेरोजगार है इसलिए गरीब है। अर्थव्यवस्था के सामने सबसे महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक चुनौती यह है कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर कहाँ से निकलेंगे। उत्पादक रोजगार विकास के लिए बहुत जरूरी है। समावेशी विकास के लिए भी गुणवत्तापूर्ण रोजगार अत्यंत जरूरी है। भारत में विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार पैदा करना नीति निर्धारकों के लिए हमेशा से चिन्ता का विषय रहा है। आजादी के बाद विशेषकर चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय से ही रोजगार वृद्धि और गरीबी निवारण के लिये समय–समय पर विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाये गये। इनका उद्देश्य यह रहा है कि कमजोर वर्ग के लोगों की आय अर्जन क्षमता में वृद्धि हो सके और उन्हें उत्पादक रोजगार प्राप्त हो सके। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिये अलग–अलग योजनाएं व कार्यक्रम चलाये गये। ग्रामीण भारत की बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में जिन कार्यक्रमों ने उल्लेखनीय योगदान दिया उनमें सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अर्थात् मनरेगा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना था। मनरेगा के नाम से प्रसिद्ध इस योजना ने ग्रामीण मजदूरों को सीधे तौर पर रोजगार देने में बड़ी सफलता हासिल की है। दस वर्ष के सफर के दौरान मनरेगा द्वारा लगभग 27.56 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिनमें 19.6 प्रतिशत दलित व 15.22 फीसदी आदिवासी परिवार शामिल हैं। भले ही मनरेगा को लेकर राजनीतिक तानातानी रही हो और इसमें भ्रष्टचार की भी शिकायतें मिली हों, लेकिन सरकार की ताजा रिपोर्ट ही बताती है कि इसने गरीबी घटाई है। आज एक ग्रामीण मजदूर अपने पैतृक निवास पर मनरेगा के तहत 135 रूपये से लेकर 214 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी कमाने में सक्षम है। 2004–05 में मनरेगा कर्मियों में गरीबी दर 52.20 प्रतिशत थी जो 2011–12 में घटकर 31.30 प्रतिशत रह गई । ग्रामीण विकास मत्रांलय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा ने 1.4 करोड़ लोगों को गरीब होने से बचाया है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में मनरेगा के तहत 44.8 प्रतिशत पुरूष और 55.2 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। मनरेगा से 45 प्रतिशत महिलाओं को पहली बार काम मिला।

उदारीकरण के दौर में एक तरफ जहाँ शहरों में रोजगार के नये क्षेत्रों का सृजन हुआ तो वही गांवों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। 1993–94 से 1999–2000 के बीच ग्रामीण रोजगार में केवल 0.58 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण श्रम शक्ति में वृद्धि इससे कहीं अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार अवसर न होने के कारण बहुत से ग्रामीण परिवारों की आय में तेज गिरावट आई। बिगड़ती आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर ग्रामीण मजदूर और किसान आत्महत्या करने लगे। इस

* **असिस्टेन्ट प्रोफेसर, गृहविज्ञान, गया प्रसाद राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बारी, आजमगढ़**

मानव त्रासदी को स्वीकार करते हुए यू0पी0ए0 सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन काम की कानूनी गारंटी देने के लिए सित0 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) पारित कराया। इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) कर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार है। इस प्रकार MNREGA अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से इस अर्थ में भिन्न है कि वह ग्रामीण जनता को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं– समयबद्ध रोजगार गारंटी तथा 15 दिनों में मजदूरी भुगतान और रोजगार उपलब्ध न करा पाने की दशा में बेरोजगारी भत्ता देना। MNREGA के अंतर्गत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मजदूरी का भुगतान बैंकों या पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से करना अनिवार्य है।

MNREGA का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना है। तमाम अध्ययनों व रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि यह योजना अपने उद्देश्य को पूरा करने में काफी हद तक सफल रही है। इस योजना ने ग्रामीण मजदूरों को सीधे तौर पर रोजगार देने में बड़ी सफलता हासिल की है। दस वर्ष के सफर के दौरान मनरेगा द्वारा लगभग 27.56 करोड़ लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ है। जिनमें 19.5 प्रतिशत दलित व 15.22 प्रतिशत आदिवासी परिवार शामिल हैं। आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू हुई मनरेगा की राष्ट्रव्यापी स्वीकृति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पहले ही वित्त वर्ष में इस रोजगार गारंटी योजना के तहत 2.10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अकुशल रोजगार प्रदान किया गया, जिसके लिए सरकारी कोष से 8823.35 लाख रूपये आवंटित किए गए थे। ग्रामीण वयस्कों और महिलाओं को काम करने का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाली मनरेगा कुल रोजगार का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने की भी सिफारिश करती है। आज एक ग्रामीण मजदूर अपने पैतृक निवास पर मनरेगा के तहत 135 रूपये से लेकर 214 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी कमाने में सक्षम है।

मनरेगा ने भारतीय ग्रामीण समाज की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में जबर्दस्त बदलाव किया है। 2006 में जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका भारतीय ग्रामीण समाज पर इतना व्यापक असर पड़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2013–14 की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2006 से लेकर अब तक 163754.41 करोड़ रूपये की राशि कामगार परिवारों को मजदूरी के रूप में दी गई । अर्थात इतने बड़े पैमाने पर अर्थ ग्रामीणों के पास गया है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब तक 1657.45 करोड़ श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ है। वर्ष 2008 से हर वर्ष औसतन 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है। 31 मार्च 2014 तक अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की भागीदारी 48 फीसदी रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी इन जातियों के पास आर्थिक मदद पहुंची है, जिसके कारण उनके आर्थिक शोषण में कमी आई है। मनरेगा से ग्रामीण जनता की क्रयशक्ति में वृद्धि हुई है। जिससे उनके

जीवन स्तर में सुधार आया है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आने से गांवों में मजदूरी को लेकर श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

समस्त ग्रामीण विकासों में मनरेगा को उस तरह के बड़े कार्यक्रम के रूप में माना जाता है, जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है। बैंकिंग/पोस्टल नेटवर्क के इस्तेमाल के कारण मनरेगा को देश में चलने वाले किसी भी दूसरे कार्यक्रमों के मुकाबले सबसे ज्यादा कामयाब माना जाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत बैंक/पोस्ट आफिस के जरिये पारिश्रमिक भुगतान किये जाने से ग्रामीण खाताधारकों की तादात 8.6 करोड़ की बड़ी संख्या तक पहुंच गई है। बैंक खातों द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन के इस पहलू ने न सिर्फ मजदूरों में बचत को बढ़ावा दिया है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जमा धन में भी बढ़ोतरी की। इस कार्यक्रम ने सभी समुदायों के बीच बराबरी लाने में भी मदद की है।

गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए दुनिया के कई देशों में ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अर्जेटीना में 'जेफेस दी होगार' तथा नेपाल में 'द रीजनल करनाली एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम' के नाम से चलाए गए कार्यक्रम को उतनी व्यापक सफलता नहीं मिली है, जितनी मनरेगा को प्राप्त है। यूनाईटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मनरेगा को नौकरी या मजदूरी प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना करार दिया गया है। मनरेगा की एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि ग्रामीण इलाकों से पलायन को रोकने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। कृषि की दयनीय स्थिति के कारण 45 से 50 फीसदी कृषि मजदूर व छोटे किसान खेती छोड़ पलायन का विकल्प अपनाने को तैयार हैं। इस स्थिति में मनरेगा उन्हें गांवों से बांधे रखने में काफी हद तक कामयाब रही है।

निष्कर्ष

दूर–दराज के इलाकों तक पहुंच बनाने में मनरेगा के पास गिनाने का बहुत कुछ है, लेकिन मनरेगा को लेकर कुछ आंकड़े चकित करते हैं, मसलन– कार्यरत लोगों में 81 प्रतिशत लोग कच्चे घरों में रहते हैं, 61 प्रतिशत निरक्षर हैं तथा 72 प्रतिशत लोगों के घरों तक बिजली की पहुंच नहीं है। फिर भी मनरेगा की वजह से हालात में तेजी से सुधार हुआ है वरना हालात और भी बुरे थे। जिस योजना से पूरे देश की भलाई जुड़ी हो, उसका राजनीतिकरण करना विकास का गला घोटने के समान होगा। यह एक सामाजिक उपक्रम है, जो देश के अंदर बेरोजगारी कम करने, गरीबी–भुखमरी मिटाने और देश का समुचित विकास सुनिश्चित करने वाला है। इसे दलगत राजनीति का शिकार बनने से दूर रखना ही बेहतर होगा। यह दुखद है कि जिस कार्यक्रम ने गरीबी और बेरोजगारी घटाने में मदद की और ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बनाया, उसका खर्च लगातार घटाया जा रहा है जबकि वक्त की जरूरत है कि मनरेगा को और व्यापक बनाने के लिए बजट और दायरा, दोनों बढ़ाए जाएं। यही वह कार्यक्रम है, जो देश में विकास की गति को तेज कर सकता है।

सन्दर्भ

1. कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2015, पृष्ठ 9।
2. योजना, अगस्त 2015, पृष्ठ 24।
3. बी0 के0 पुरी व एस0 के0 मिश्रः भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई, 2015, पृष्ठ 153–154।
4. केसी त्यागीः ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा, हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, वाराणसी संस्करण, 5 फरवरी 2016, पृष्ठ 12।
5. अमर उजाला, हिन्दी दैनिक, वाराणसी संस्करण, 17 अगस्त 2015, पृष्ठ 12।